तेरह

तलाक और पुनर्विवाह

Divorce and Remarriage

तलाक और पुनर्विवाह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में प्राय: सच्चे मसीहियों के बीच वाद-विवाद होता है। इस विवाद के आधार दो मूलभूत प्रश्न हैं: (1) क्या परमेश्वर की दृष्टि में तलाक की इजाज़त है? और (2) क्या पुनर्विवाह परमेश्वर की दृष्टि में अनुमति प्राप्त है? बहुत सी डिनोमिनेशन और स्वतन्त्र कलीसियाओं के इस बारे में अपने सिद्धान्त हैं कि किस चीज़ को अनुमति दी जानी चाहिए और किसे नहीं, जिसका आधार उनकी पवित्रशास्त्र पर अपना विशिष्ट स्पष्टीकरण होता है। हमें उन सभी धारणाओं का आदर करते हुए उनके अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए–यदि उनकी ये धारणाएं परमेश्वर के प्रेम से प्रेरित हों। यदि हमारी धारणाएं 100 प्रतिशत पवित्रशास्त्रीय हों तो यह और भी श्रेष्ठ होगा। शिष्य– निर्माता सेवक यह सिखाना नहीं चाहता कि क्या चीज़ परमेश्वर के उद्देश्य में नहीं है। न ही वह लोगों पर उस बोझ को डालना चाहता है जिसके लिए परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा कि वे उसे उठाएं। अपने मन में इस लक्ष्य को रख, मैं पवित्रशास्त्र के इस विवादास्पद विषय पर स्पष्टीकरण देने जा रहा हूं और इसका निर्णय आप लें कि आप इससे सहमत हैं या नहीं।

आइये आरम्भ सबसे पहले आपको यह बताते हुए करता हूं कि मैं भी आपके समान दुखी हूं कि तलाक आज विश्व में बहुत अधिक अनियंत्रित हो गया है। इससे भी दुखद सच्चाई यह है कि अधिकांश दिखावटी मसीही जिसमें सेवकाई में काम करने वाले भी आते हैं, तलाक दे रहे हैं। यह एक महान त्रासदी है। हम सभी इसे अधिक फैलने से रोक सकते हैं। तलाक की समस्या का समाधान सुसमाचार का प्रचार करना और लोगों को पश्चात्ताप के लिए बुलाना है। दो विवाहित लोग जो नया जन्म पाने के बाद मसीह का अनुसरण कर रहे होते हैं, वे कभी भी तलाक नहीं देते। शिष्य-निर्माता सेवक अपने विवाह को मज़बूत करने के लिए अधिक से अधिक प्रयास करेगा, यह जानते हुए कि उसके उदाहरण का उसकी शिक्षा पर प्रभाव पड़ेगा।

मैं इसमें यह भी जोड़ना चाहता हूं कि तीस वर्षों से भी अधिक समय से मेरा एक खुशहाल विवाहित जीवन रहा है, और मैंने इससे पहले कभी विवाह नहीं किया है। मैं तलाक देने की कल्पना कभी नहीं कर सकता हूं। अत: अपने लाभ के लिए पवित्रशास्त्र के कठिन तलाक सबन्धी पदों को हल्का बनाने का मेरे पास कोई औचित्य नहीं है। तलाक लेने वाले लोगों के प्रति मुझे सहानुभूति है यह जानते हुए कि एक युवा व्यक्ति के रूप में मैं उस किसी से विवाह करने का बुरा निर्णय ले सकता था जिसे बाद में मैं तलाक दे देता। अन्य शब्दों में, मैं तलाक के साथ समापन कर सकता था लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने ऐसा किया नहीं। मेरे विचार से अधिकांश उससे सहमत होंगे जो मैं कह रहा हूं, अत: हमें तलाकशुदा लोगों पर पत्थर फेंकने से बचना चाहिए। हमें इस बात का कोई विचार नहीं है कि तलाकशुदा लोगों ने क्या सहन किया है? परमेश्वर उन्हें हमारी तुलना में अधिक धर्मी ठहरा सकता है, क्योंकि वह जानता है कि हम उसी परिस्थिति में जल्दी से तलाक दे सकते हैं।

किसी भी विवाह करने वाले को अन्तत: तलाक देने के बारे में विचार नहीं करना चाहिए, और मेरे विचार से उनसे अधिक कोई भी तलाक से घृणा नहीं करता होगा जिन्होंने इसके कारण दुख उठाया है। इसलिए हमें विवाहित लोगों की विवाहित बने रहने में सहायता करनी चाहिए। और तलाकशुदा लोगों की परमेश्वर के अनुग्रह को ढूंढने में सहायता करनी चाहिए। यह मैंने आत्मा में होकर लिखा है।

मैं पवित्रशास्त्र को पवित्रशास्त्र का स्पष्टीकरण अच्छी तरह से करने दूंगा। मैंने ध्यान दिया है कि इस विषय पर दिये गए पदों की व्याख्या प्राय: इस तरह से की जाती है कि वे अन्य पवित्रशास्त्रीय पदों के प्रतिकूल होती है, जो निश्चित रूप से इस बात का संकेत है कि उन पदों का गलत अर्थ लगाया गया है।

नींव

A Foundation

आइये आरम्भ एक ऐसी मूलभूत सच्चाई के साथ करें जिस पर हम सभी सहमत हो सकते हैं। पवित्रशास्त्र मूल रूप में पुष्टि करता है कि परमेश्वर सामान्यता तलाक के विरोध में है। उस समय में, जब कुछ इस्राएली पुरुष अपनी अपनी पत्नियों को तलाक दे रहे थे, उसने अपने नबी मलाकी के द्वारा घोषणा की :

> मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं, और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिये तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात न करो (मला. 2:16)।

जो परमेश्वर के प्रेमी और न्यायी चरित्र के बारे में जानता है और जो यह जानता है कि तलाक पतियों, पत्नियों, और बच्चों को हानि पहुंचाता है, उन्हें इससे आश्चर्य

नहीं करना चाहिए। तलाक का समर्थन करने वालों के लिए हमारे पास उनके नैतिक चरित्र को लेकर प्रश्न होगा। परमेश्वर प्रेम है (देखें 1यूह. 14:8), और इसी कारण वह तलाक से घृणा करता है।

कुछ फरीसियों ने एक बार यीशु से ''किसी भी कारण से'' तलाक देने की वैद्यता के बारे में प्रश्न किया था। उसका जवाब उसके द्वारा तलाक को अप्रमाणिक ठहराने को प्रगट करता है। वास्तव में, किसी के लिए भी उसका उद्देश्य तलाक का नहीं है:

> तब फरीसी उस की परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, ''क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है?'' उसने उत्तर दिया, ''क्या तुम ने नहीं पढ़ा, कि जिसने उन्हें बनाया, उसने आरम्भ में नर और नारी बनाकर कहा कि 'इस कारण मनुष्य अपने माता-पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे? सो वे अब दो नहीं, परन्तु एक तन हैं, इसलिये जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है, उसे मनुष्य अलग न करे''' (मत्ती 19:3-6)।

ऐतिहासिक रूप में, हम जानते हैं कि यीशु के दिनों में यहूदी धार्मिक अगुवों के बीच दो तरह की विचारधाराएं थीं। हम बाद में इन दोनों विचाराधाराओं को विस्तृत रूप में प्रगट करेंगे, लेकिन इस समय इतना कहना पर्याप्त है कि उनमें से एक रूढ़िवादी और एक उदारवादी थी। रूढ़िवादियों का मानना था कि एक पुरुष को कुछ गंभीर नैतिक कारणों से अपनी पत्नी को तलाक देना उचित था। उदारवादियों का मानना था कि एक पुरुष अपनी पत्नी को किसी भी कारण से तलाक दे सकता है, अगर उसे उससे अधिक आकर्षक स्त्री मिल जाए। तौभी, ये विरोधात्मक विचारधाराएं यीशु से फरीसियों द्वारा किये प्रश्न का आधार थीं।

उत्पत्ति के आरम्भिक पृष्ठों से यीशु के द्वारा दिया गया सन्दर्भ दिखाता है कि परमेश्वर की मूल योजना स्त्री पुरुषों को *स्थायी* रूप से एक साथ जोड़ने की थी न कि अस्थाई रूप से। मूसा ने घोषणा की कि परमेश्वर ने अपने मन में विवाह को रखते हुए दो लिंगों की रचना की, और विवाह महत्वपूर्ण संबन्ध होने के कारण प्राथमिक संबन्ध हो जाता है। इसके एक बार स्थापित हो जाने पर इसका दर्जा किसी भी और संबन्ध से ऊंचा हो जाता है। पुरुष अपने माता-पिता से *अलग* होकर अपनी पत्नी से *जुड़ा* रहेगा।

इसके अतिरिक्त, पुरुष और स्त्री के बीच की यौन एकता उनकी परमेश्वर द्वारा निर्धारित एकता की ओर संकेत करती है। एक ऐसा संबन्ध जिसका परिणाम संतान के रूप में होता है। उत्पत्ति परमेश्वर का अभिप्राय उसके लिए अस्थाई होने से नहीं था, बल्कि स्थाई होने से था। मुझे लगता है यीशु द्वारा फरीसियों को जिस आवाज़

में जवाब दिया गया वह इसकी ओर संकेत करता है कि इस तरह का प्रश्न पूछे जाने पर वह कितना निराश था। परमेश्वर *निश्चय ही* यह नहीं चाहता कि पुरुष अपनी स्त्रियों को ''किसी भी कारण से'' तलाक दें।

बेशक, परमेश्वर ने यह भी नहीं चाहा कि कोई भी किसी भी तरह से पाप करे, लेकिन हम सब ऐसा करते हैं। करुणा में होकर परमेश्वर ने हमें हमारी पाप की गुलामी से छुड़ाने का प्रयोजन किया। इसके अलावा, हमारे यह करने के पश्चात् जिसके लिए वह नहीं चाहता था कि हम उसे करें, उसके पास हमारे लिए कहने को कुछ है। इसी तरह से परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा कि कोई भी तलाक दे, लेकिन तलाक उन लोगों में अनिवार्य हो गया है जो परमेश्वर के प्रति समर्पित नहीं हैं। पहले तलाक या उसके साथ होने वाले करोड़ों तलाकों पर परमेश्वर को कोई आश्चर्य नहीं हुआ था। और इसलिए वह तलाक के प्रति न केवल अपनी घृणा की घोषणा करता है, लेकिन उनके तलाक दे देने के पश्चात् उसके पास उनसे कुछ कहने को है।

आरम्भ में
In the Beginning

इस नींव के डाले जाने पर हम अधिक विशिष्ट रूप से उस चीज़ को प्रगट करना आरम्भ कर सकते हैं जो परमेश्वर ने तलाक और पुनर्विवाह के बारे में कहा है। चूंकि यीशु द्वारा तलाक और पुनर्विवाह के बारे में इस्राएलियों को बोले गए शब्द अधिक विवादास्पद हैं, तौभी यह सबसे पहले हमारी उसका अध्ययन करने में सहायता करेगा जो परमेश्वर ने सैकड़ों वर्ष पूर्व इस्राएलियों से इसी विषय पर कहा था। यदि हम यह पाते हैं कि यीशु ने मूसा और यीशु के द्वारा जो कुछ कहा उसमें विरोध है तो हम यह मान सकते हैं कि या तो परमेश्वर का नियम बदल गया है या फिर हमने मूसा या यीशु द्वारा कहे शब्दों का गलत अर्थ निकाला है। आइये, सर्वप्रथम आरम्भ उसके साथ करें जो परमेश्वर ने तलाक और पुनर्विवाह के बारे में सबसे पहले प्रगट किया था।

मैंने पहले ही के उत्पत्ति 2 परिच्छेद का वर्णन किया था कि यीशु के अनुसार तलाक का विषय इससे संबन्धित था। आइये अब प्रत्यक्ष रूप में उत्पत्ति 2 के इस विवरण को पढ़ते हैं :

> और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी, स्त्री बना दिया; और उसको आदम के पास लाया। और आदम ने कहा, ''यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मांस में का मांस है : सो इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है।'' इस कारण पुरुष अपने माता-पिता को छोड़ कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे (उत्प. 2:22-24)।

यहीं से विवाह का आरम्भ हुआ है। परमेश्वर ने प्रथम स्त्री को प्रथम पुरुष में *से* और प्रथम पुरुष *के लिये* बनाया, और *स्वयं* उसे उसके पास लेकर आया। यीशु के शब्दों में, "*परमेश्वर* ने (उन्हें) जोड़ा है" (मत्ती 19:6, पर अतिरिक्त पर बल दिया गया है)। यह प्रथम परमेश्वर द्वारा निर्धारित विवाह बाकी के सभी विवाहों का नमूना है। परमेश्वर समान संख्या में स्त्री पुरुषों की रचना करता है, और वह चाहता है कि वे दोनों विपरीत लिंग एक दूसरे से जुड़े रहें। अत:, ऐसा कहा जा सकता है कि परमेश्वर अभी भी एक बड़े स्तर पर विवाहों का प्रबन्ध कर रहा है (यद्यपि आदम और हव्वा से अधिक आज प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयुक्त जीवन साथी उपलब्ध है)। इसलिए यीशु ने कहा कि कोई भी *व्यक्ति* उन्हें अलग न करे जिन्हें *परमेश्वर* ने जोड़ा है। परमेश्वर की मंशा यह नहीं थी कि मूल दम्पत्ति अलग होकर जीवन बिताएं, बल्कि यह कि वे पारस्परिक स्वतन्त्रता में एक दूसरे के साथ रहते हुए आशीष पाएं। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना पाप से जुड़े रहने को प्रगट करेगा। अत: बाइबल के दूसरे अध्याय से, यह एक स्थापित की गई सच्चाई है कि किसी भी विवाह के लिए परमेश्वर का अभिप्राय तलाक नहीं था।

परमेश्वर की व्यवस्था को हृदयों में लिखा गया
God's Law Written in Hearts

मैं यह परामर्श देना चाहूंगा कि जिन्होंने चाहे कभी भी उत्पत्ति के दूसरे अध्याय को नहीं पढ़ा है वे यह स्वाभाविक रूप से जानते हैं कि तलाक देना गलत है, जबकि आजीवन विवाह में बने रहने की विधि को कई अन्यजाति संस्कृतियों में बाइबल का ज्ञान न होने पर भी माना जाता है। पौलुस ने रोमियों को अपने पत्र में लिखा :

> फिर जब अन्यजाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास न होने पर भी वे अपने लिये आप ही व्यवस्था हैं। वे व्यवस्था की बात अपने-अपने हृदय में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं, और उनकी चिन्ताएं परस्पर दोष लगाती या उन्हें निर्दोष ठहराती हैं (रोमि. 2:14-15)।

परमेश्वर की नीति-संहिता प्रत्येक मानव हृदय पर लिखी हुई है। यह नीति-संहिता जो विवेक के द्वारा बोलती है वे सभी नियम हैं जो परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों के अलावा *प्रत्येक* को दिये थे, आदम से लेकर यीशु के समय तक। तलाक पर विचार करने वाला *प्रत्येक व्यक्ति* स्वयं को विवेक से निपटते हुए पाएगा, और अपने विवेक पर विजयी होने के लिए वह तलाक को सही ठहराने के कारण को ढूंढेगा। यदि वह किसी उचित कारण के बिना तलाक में आगे बढ़ता है, उसका विवेक उसे दण्डित करेगा चाहे वह उसे दबाने का कितना ही प्रयास क्यों न करे।

आदम से लेकर इस्राएल को मूसा की व्यवस्था दिये जाने तक 1440 ई.पू. के लगभग, विवेक का नियम ही वह प्रगटीकरण था जो परमेश्वर ने प्रत्येक को दिया था, जिसमें इस्राएली भी शामिल थे, परमेश्वर ने इसे पर्याप्त माना था (स्मरण रखें कि मूसा ने उत्पत्ति 2 के विवरण को निर्गमन के समय तक नहीं लिखा था)। यह विचार करना निश्चय ही उपयुक्त प्रतीत होता है कि मूसा से पहले की उन सत्ताईस पीढ़ियों में जिसमें नूह की बाढ़ का समय भी था, उन सैकड़ों वर्षों में लाखों विवाहों का अन्त तलाक से हुआ था। यह परिणाम निकालना भी उचित प्रतीत होता है कि वह परमेश्वर जो कभी बदलता नहीं वह उन्हें क्षमा करने को तैयार था जिन्होंने तलाक देने का पाप किया था, यदि वे पश्चात्ताप करते। इस तरह के लोग निश्चय ही बचाए जा सकते या परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहराए जा सकते थे, इससे पहले कि मूसा व्यवस्था को देता, जैसे इब्राहीम को उसके विश्वास से धर्मी ठहराया गया था (देखें रोमि. 4:1-12)। यदि आदम से लेकर मूसा तक के सभी लोगों को उनके विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जा सकता है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि उन्हें किसी भी चीज़ के लिए क्षमा किया जा सकता है जिसमें तलाक देने का पाप भी आता है। अत:, पुनर्विवाह और तलाक जैसे विषयों की जांच-पड़ताल आरम्भ करने पर मुझे आश्चर्य होता है, *मूसा की व्यवस्था से पहले तलाक का पाप करने वाले लोग जिन्होंने परमेश्वर से क्षमा को प्राप्त किया तब अपने विवेक के द्वारा दोषी ठहराएं जाने पर (क्योंकि उस समय कोई लिखित व्यवस्था नहीं थी) क्या वे पुनर्विवाह करके पाप करते?* मैंने केवल इस प्रश्न को रखा है।

उन तलाक के *पीड़ितों* का क्या जिन्होंने यह पाप नहीं किया था, जिनकी कोई गलती न होने पर भी उन्हें तलाक दिया गया था, केवल उनके स्वार्थी जीवन-साथियों के कारण? क्या उनके विवेक उन्हें पुनर्विवाह करने से रोकेंगे? यह मुझे ठीक नहीं लगता। यदि एक पुरुष ने अपनी पत्नी को किसी दूसरी स्त्री के लिए छोड़ दिया है तो क्या वह छोड़ी हुई स्त्री पुनर्विवाह नहीं करेगी? उसको तलाक दिये जाने में उसकी कोई गलती नहीं थी।

मूसा की व्यवस्था
The Law of Moses

बाइबल की तीसरी पुस्तक तक पहुंचने पर हम पाते हैं कि तलाक और पुनर्विवाह का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। मूसा की व्यवस्था में याजकों को तलाक शुदा स्त्रियों से विवाह करने की मनाही थी:

> वे वेश्या वा भ्रष्टा को ब्याह न लें; और न त्यागी हुई को ब्याह लें; क्योंकि याजक अपने परमेश्वर के लिए पवित्र होता है (लैव्य. 21:7)।

मूसा की व्यवस्था में इस्राएल के साधारण पुरुषों को इस तरह की कुछ चीज़ों के लिए मना किया गया है। इसके अतिरिक्त, अभी बताए गए पदों में (1) कि वहां तलाकशुदा इस्राएली स्त्रियां थीं (2) कि अयाजक पुरुषों का उन स्त्रियों से विवाह करना गलत नहीं होगा जो पहले से ही विवाहित थीं। मूसा की व्यवस्था में स्त्रियों के पुनर्विवाह में कुछ गलत नहीं था, सिवाय इसके कि वे याजक से विवाह न करें। इसी तरह से याजक को छोड़ किसी भी व्यक्ति का तलाकशुदा स्त्री से विवाह करना गलत नहीं था।

महायाजक (शायद जो मसीह के सर्वोच्च रूप की समानता में था) को आप याजकों की तुलना में ऊंचे मानदण्ड के अनुसार जीना होता था। उसे भी *विधवा* से विवाह करने की अनुमति नहीं थी। हम लैव्यव्यवस्था में बाद के कुछ पदों में पढ़ते हैं:

> जो विधवा, वा त्यागी हुई, वा भ्रष्ट, वा वेश्या हो, ऐसी किसी को वह न ब्याहे, व अपने ही लोगों के बीच में किसी कुंवारी कन्या को ब्याहे (लैव्य. 21:14)।

क्या यह पद प्रमाणित करता है कि किसी भी या *सभी* इस्राएली विधवाओं का पुनर्विवाह करना पापपूर्ण था या फिर यह कि किसी भी या *सभी* इस्राएली पुरुषों का विधवाओं से विवाह करना पापपूर्ण था? नहीं, निश्चय ही नहीं। बल्कि ये पद दृढ़ता से बताते हैं कि *किसी भी* विधवा का *किसी भी* पुरुष से विवाह करना उस समय तक पापपूर्ण नहीं माना जाता था जब तक कि वह व्यक्ति याजक न हो, और यह भी दृढ़ता से कहता है कि कोई भी व्यक्ति-महायाजक के अतिरिक्त, विधवा से विवाह कर सकता था। अन्य पद विधवा पुनर्विवाह की विधिवादिता की पुष्टि करते हैं (देखें रोमि. 7:2-3; 1तीमु. 5:14)।

ये पद पिछले पदों के साथ साथ यह भी बताते हैं जिन पर हमने विचार किया था (लैव्य. 21:7) कि किसी भी इस्राएली पुरुष का (याजक और महायाजक के अलावा) तलाकशुदा स्त्री या एक ऐसी स्त्री से विवाह करना गलत नहीं था जो कुंवारी न हो ''भ्रष्ट व वेश्या'' हो। मूसा की व्यवस्था के अन्तर्गत यह इस बात को भी बताता है कि एक तलाकशुदा स्त्री का पुनर्विवाह करना या ''भ्रष्ट व वेश्या'' स्त्री का विवाह करना उस समय तक गलत नहीं था यदि वह एक याजक से विवाह न करे। परमेश्वर अपने अनुग्रह में होकर तलाकशुदा और व्यभिचारी दोनों को अवसर देता है, जबकि वह व्यभिचार और तलाक के विरुद्ध है।

पुनर्विवाह के विरुद्ध दूसरी विशिष्ट निषेधाज्ञा
A Second Specific Prohibition Against Remarriage

परमेश्वर ने तलाकशुदा स्त्रियों को *कितने* ''दूसरे अवसर'' दिये थे? क्या हम यह परिणाम निकालें कि परमेश्वर ने मूसा की व्यवस्था के अन्तर्गत तलाकशुदा स्त्रियों

को केवल *एक* और अवसर दिया था, केवल एक पुनर्विवाह की अनुमति देते हुए? यह एक गलत निष्कर्ष होगा। हम मूसा की व्यवस्था में बाद में पढ़ते हैं :

> यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को ब्याह ले, और उसके बाद उसमें कुछ लज्जा की बात पाकर उससे अप्रसन्न हो, तो वह उसके लिये त्यागपत्र लिखकर और उसके हाथ में देकर उसको अपने घर से निकाल दे। और जब वह उसके घर से निकल जाए, तब दूसरे पुरुष की हो सकती है। परन्तु यदि वह उस दूसरे पुरुष को भी अप्रिय लगे, और वह उसके लिये त्यागपत्र को लिखकर और उसके हाथ में देकर उसे अपने घर से निकाल दे, तो वह दूसरा पुरुष जिसने उसको अपनी स्त्री कर लिया हो मर जाए, तो उसका पहला पति, जिसने उसको निकाल दिया हो, उसके अशुद्ध होने के बाद उसे अपनी पत्नी न बनाने पाए क्योंकि यह यहोवा के सम्मुख घृणित बात है। इस प्रकार तू उस देश को जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है पापी न बनाना (लैव्यव्यवस्था 24:1-4)।

इन पदों में ध्यान दें कि दो बार तलाकशुदा स्त्रियों के विरुद्ध एकमात्र मनाही (या एक बार तलाकशुदा या एक बार विधवा हुई स्त्री) उसके पहले पति के साथ पुनर्विवाह करने की है। उसके दूसरी बार विवाह करने के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है (या अपने दूसरे पति से विधवा हो जाने), उसे *केवल* अपने पहले पति के पास लौटने की मनाही थी। स्पष्ट है कि वह *किसी भी दूसरे व्यक्ति* से विवाह करने को स्वतन्त्र थी। यदि उसका किसी और से भी विवाह करना पाप होता तो परमेश्वर द्वारा इस संबन्ध में निर्देश न दिये गए होते। उसने केवल इतना ही कहा होता, ''तलाकशुदा लोगों को पुनर्विवाह करने की मनाही है।''

इसके अलावा यदि परमेश्वर ने इस स्त्री को दूसरी बार विवाह करने की अनुमति दी, तो वह व्यक्ति जो उसके पहले पति से तलाक लिये जाने के पश्चात् उससे विवाह करता है, कोई पाप नहीं करता। और यदि उसे तीसरी बार विवाह करने की अनुमति दी गई है, तो कोई भी व्यक्ति जो उसके दूसरी बार तलाक देने पर विवाह करता है पाप नहीं करता (यदि वह उसका पहला पति न हो)। अत:, परमेश्वर जिसने तलाक से घृणा की, उसने तलाकशुदा लोगों से प्रेम किया, और उसने करुणापूर्वक उन्हें दूसरा अवसर भी दिया।

सारांश

A Summary

अब तक हमने जो जाना है, आइये उसके सारांश को देखें : *यद्यपि परमेश्वर ने तलाक के प्रति अपनी घृणा की घोषणा की, तौभी उसने पुरानी वाचा के समय*

में या उससे पहले इस बात का कोई संकेत नहीं दिया कि पुनर्विवाह पाप था, इन दो के अतिरिक्त (1) दो बार तलाकशुदा या एक बार तलाकशुदा, एक बार विधवा हुई स्त्री का अपने पहले पति से विवाह करना और (2) एक तलाकशुदा स्त्री का एक याजक से विवाह करना। इसके अतिरिक्त, परमेश्वर ने इस बात का कोई संकेत नहीं दिया कि याजकों को छोड़ किसी भी व्यक्ति का तलाकशुदा से विवाह करना गलत था।

यीशु ने उन तलाकशुदा लोगों के बारे में जो पुनर्विवाह करते या तलाकशुदा लोगों से विवाह करते हैं, के बारे में जो कहा यह उसके विपरीत प्रतीत होता है। यीशु ने कहा कि ऐसे लोग व्यभिचार करते हैं (देखें मत्ती 5:32)। अत:, हम मूसा और यीशु में से किसी एक को गलत समझ रहे हैं या फिर परमेश्वर ने अपने नियम को बदल दिया है। मुझे शक है कि यीशु ने जो कुछ सिखाया हम उसका गलत अर्थ लगा रहे हैं, क्योंकि यह बहुत अजीब होगा कि परमेश्वर उस किसी चीज़ को अचानक ही नैतिक रूप से पापपूर्ण घोषित करे जिसे उसने पन्द्रह सौ वर्ष पूर्व इस्राएल को व्यवस्था के रूप में *दिया* था।

इस विरोधात्मक विषय पर पूर्ण रूप से निपटने से पहले मैं इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पुरानी वाचा के अन्तर्गत पुनर्विवाह की परमेश्वर की अनुमति किसी भी ऐसे अनुबंध को लेकर नहीं थी जो एक व्यक्ति के तलाक लेने के कारणों या तलाक में एक व्यक्ति द्वारा किये गए पाप की मात्रा पर आधारित थी। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि इस तरह के तलाकशुदा लोग इस कारण पुनर्विवाह करने के योग्य नहीं थे, क्योंकि उनका तलाक उचित कारणों से नहीं था। उसने यह कभी नहीं कहा कि कुछ लोग पुनर्विवाह करने के लिए अद्वितीय रूप से योग्य थे जिसका कारण उनके तलाक की वैद्यता थी। तौभी, इस तरह के निर्णय आधुनिक प्रभु के सेवकों द्वारा प्राय: एक-तरफा गवाही के आधार पर लिये जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक तलाकशुदा स्त्री अपने पास्टर को यह स्वीकार कराने का प्रयास करती है कि उसे पुनर्विवाह की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि उसके तलाक में उसकी कोई गलती नहीं थी। उसके भूतपूर्व पति ने उसे तलाक दिया-उसने उसे तलाक नहीं दिया। लेकिन यदि उस पास्टर को उसके भूतपूर्व पति की ओर से कहानी को सुनने का अवसर दिया गया होता तो निश्चय ही पास्टर को उसके प्रति भी सहानुभूति होती।

मैं एक ऐसे पति-पत्नी को जानता हूं जिन्होंने तलाक लेने के लिए एक दूसरे को उकसाया ताकि वे स्वयं तलाक देने के दोष से बच सकें। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वे यह कह सकें कि तलाक उन्होंने नहीं बल्कि उनके जीवन साथी ने दिया और इसी कारण उनके लिए पुनर्विवाह करना उचित है।

हमारे लिए लोगों को तो मूर्ख बनाना संभव है, परन्तु हम परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकते। उस स्त्री के लिए परमेश्वर का मूल्यांकन क्या होगा, जो परमेश्वर के

वचन की अनाज्ञाकारिता में रहकर, अपने पति के साथ यौन संबन्ध न रखते हुए उसे इस कारण से तलाक दे देती है कि वह उसके प्रति विश्वासयोग्य नहीं रहा? क्या वह भी आंशिक रूप में तलाक के प्रति उत्तरदायी नहीं है? दो बार तलाक दी गई स्त्री के बारे में हमने व्यवस्थाविवरण 24 में पढ़ा जो उसके दोनों तलाकों की वैद्यता के बारे में कुछ नहीं कहता। उसके पहले पति ने उसमें कुछ ''निर्लज्जता'' को पाया था। यदि वह ''निर्लज्जता'' व्यभिचार थी तो वह मूसा की व्यवस्था के अनुसार मृत्यु के योग्य थी, जिसके अनुसार व्यभिचारियों को पत्थरवाह किया जाता है (देखें लैव्य. 20:10)। यदि व्यभिचार तलाक का एकमात्र वैद्य कारण है, तो उसके पास उसे तलाक देने का कोई अच्छा कारण *नहीं* था। दूसरी ओर, हो सकता है कि उसने व्यभिचार किया हो और उसने मरियम के पति यूसुफ के समान धर्मी होने के कारण ''उसे चुपके से त्याग देने का फैसला किया हो'' (मत्ती 1:19)। इसके कई उपयुक्त कारण हो सकते हैं।

उसके दूसरे पति को केवल ''उससे विमुख'' होने को कहा गया है। एक बार पुन:, हम यह नहीं जानते कि दोष किसे दिया जाए। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में होकर उसे फिर से मौका दिया कि कोई उस दो बार तलाकशुदा स्त्री से विवाह करे; उसके पहले पति के अलावा।

एक आपत्ति
An Objection

प्राय: कहा जाता है, ''लेकिन लोगों से यदि यह कहा जाए कि किसी भी कारण से तलाक देने के पश्चात् उनके लिए पुनर्विवाह करना व्यवस्था के अन्तर्गत आता है, इससे उन्हें अवैद्य कारणों से भी तलाक देने का प्रोत्साहन मिलेगा।'' मेरा मानना है कि यह धर्मी लोगों के लिए कुछ मामलों में सही होना *चाहिए* जो वास्तव में परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं जो परमेश्वर के प्रति समर्पित नहीं हैं, जो कि एक बेकार का प्रयास है। जो लोग सच में अपने मन से परमेश्वर के प्रति समर्पित हैं, वे पाप करने के तरीकों को ढूंढने का प्रयास नहीं करते। वे परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं और इस तरह के लोगों के विवाह मज़बूत होते हैं। इसके अतिरिक्त, परमेश्वर को पुरानी वाचा के अधीन उन लोगों की कोई चिन्ता नहीं थी, जो पुनर्विवाह के उदारवादी नियम के कारण अपने तलाक को उचित ठहराते थे, क्योंकि उसने इस्राएल को पुनर्विवाह का एक उदारवादी नियम दिया था।

क्या हमें लोगों को यह नहीं बताना चाहिए कि परमेश्वर उन्हें उनके किसी भी पाप से क्षमा करने को तैयार है ताकि वे यह जानकर कि उन्हें क्षमा मिल सकती है पाप करने को प्रोत्साहित न हों? यदि ऐसा है तो हमें सुसमाचार का प्रचार करना

बन्द करना होगा। यह लोगों के मन की दशा पर निर्भर करता है। परमेश्वर से प्रेम करनेवाले उसकी आज्ञा का पालन करना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि यदि मैं परमेश्वर की दया को अपने लिए मांगू तो वह मुझे मिल जाएगी, चाहे मैंने कैसा भी पाप क्यों न किया हो। लेकिन यह मुझे और पाप करने को प्रेरित नहीं करता, क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और मेरा नया जन्म हुआ है। मैं परमेश्वर के अनुग्रह से बदल गया हूं। मैं उसे प्रसन्न करना चाहता हूं।

परमेश्वर जानता है कि तलाक के अधिकांश अनपेक्षित नकारात्मक परिणामों में एक और नकारात्मक कारण को इस कारण से जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है कि लोगों को विवाहित रहने को प्रेरित किया जाए। कठिन वैवाहिक जीवन बितानेवालों से यह कहना कि वे इस कारण तलाक न दें क्योंकि उनके पास पुनर्विवाह का अवसर नहीं होगा, उन्हें विवाहित बने रहने में मदद नहीं करेगा।

पुनर्विवाह पर पौलुस
Paul on Remarriage

यीशु के शब्दों का मूसा के शब्दों से मेल करने से पूर्व हमें यह जानने की ज़रूरत है कि बाइबल का एक और लेखक मूसा के साथ मेल खाता है, और उसका नाम प्रेरित पौलुस है। पौलुस ने स्पष्ट रूप से लिखा कि तलाकशुदा लोगों का पुनर्विवाह करना पाप नहीं है जो, मूसा की व्यवस्था के समान है:

> कुंवारियों के विषय में प्रभु की कोई आज्ञा मुझे नहीं मिली, परन्तु विश्वासयोग्य होने के लिये जैसी दया प्रभु ने मुझ पर की है, उसी के अनुसार सम्मति देता हूं। सो मेरी समझ में यह अच्छा है कि आजकल क्लेश के कारण मनुष्य जैसा है, वैसा ही रहे। यदि तेरी पत्नी है, तो उससे अलग होने का यत्न न कर: और यदि तेरी पत्नी नहीं, तो पत्नी की खोज न कर। *परन्तु यदि तू ब्याह भी करें, तो पाप नहीं;* और यदि कुंवारी ब्याही जाए तो कोई पाप नहीं; परन्तु ऐसों को शारीरिक दुख होगा, और मैं बचाना चाहता हूं (1 कुरि. 7:25-28, पर बल दिया गया है)।

इसमें कोई संदेह नहीं कि इस परिच्छेद में पौलुस तलाकशुदा लोगों को संबोधित कर रहा था। उसने विवाहितों कभी विवाह न करने वालों तलाकशुदा को अपनी वर्तमान दशा में बने रहने को कहा क्योंकि उस समय में मसीही लोग सताव को सह रहे थे। तौभी, पौलुस ने स्पष्ट रूप से कहा कि तलाकशुदा लोग और कुंवारियां विवाह करके पाप नहीं करते।

ध्यान दें कि पौलुस ने तलाकशुदा लोगों के पुनर्विवाह की वैद्यता को कम नहीं किया। उसने यह नहीं कहा कि तलाकशुदा व्यक्ति का यदि उसके पिछले तलाक

में कोई दोष नहीं है तो ही वह पुनर्विवाह कर सकता है। उसने यह नहीं कहा कि केवल वे ही पुनर्विवाह कर सकते हैं जिन्होंने अपने उद्धार पाने से पहले तलाक दिया था। नहीं, उसने केवल इतना कहा कि पुनर्विवाह एक तलाकशुदा व्यक्ति के लिए पाप नहीं है।

क्या पौलुस तलाक पर नम्र था?
Was Paul Soft on Divorce?

पुनर्विवाह पर एक अनुग्रहकारी नीति देने के कारण, क्या इसका अर्थ यह हुआ कि पौलुस तलाक पर नम्र था? नहीं, पौलुस ने सामान्यता तलाक का विरोध किया था। कुरिन्थियों को लिखे अपने पहले पत्र के उसी अध्याय में, उसने तलाक पर एक नियम को रखा जो तलाक के प्रति परमेश्वर की घृणा से मेल खाता है :

> जिनका ब्याह हो गया है, उन को मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है, कि पत्नी अपने पति से अलग न हो। और यदि अलग भी हो जाए, तो बिन दूसरा ब्याह किये रहे; या अपने पति से फिर मेल कर ले। और न पति अपनी पत्नी को छोड़े। दूसरों से प्रभु नहीं, परन्तु मैं ही कहता हूं, यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास न रखती हो, और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, तो वह उसे न छोड़े। और जिस स्त्री का पति विश्वास न रखता हो, और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो; वह पति को न छोड़े। क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो, वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती, पति के कारण पवित्र ठहरती है; नहीं तो तुम्हारे लड़केवाले अशुद्ध होते, परन्तु अब तो पवित्र हैं। परन्तु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता, यदि वह अलग हो, तो अलग होने दो, ऐसी दशा में कोई भाई या बहन बन्धन में नहीं; परन्तु परमेश्वर ने तो हमें मेल मिलाप के लिये बुलाया है। क्योंकि हे स्त्री, तू क्या जानती है, कि तू अपने पति का उद्धार करा ले? और हे पुरुष, तू क्या जानता है, कि तू अपनी पत्नी का उद्धार करा ले? पर जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा है, और जैसा परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है; वैसा ही वह चले : और मैं सब कलीसियाओं में ऐसा ही ठहराता हूं (1 कुरि. 7:10-17)।

ध्यान दें कि सबसे पहले पौलुस उन विश्वासियों के लिए बोला जिन्होंने विश्वासियों से विवाह किया था। बेशक, उन्हें तलाक नहीं देना चाहिए, और पौलुस कहता है कि यह उसका निर्देश नहीं है, बल्कि यह प्रभु का निर्देश है। और बाइबल में हमने जहां तक विचार किया यह उससे सहमत है।

आगे बात रोचक हो जाती है। पौलुस यह जानने को निश्चय ही यथार्थवादी है कि विश्वासियों को बहुत कम ही कारणों से तलाक लेना चाहिए। यदि ऐसा हो भी जाता है, तो पौलुस कहता है कि तलाक देने वाले को बिना विवाह के रहना चाहिए या फिर अपने जीवन साथी से मेल कर लेना चाहिए (यद्यपि पौलुस यह विशिष्ट निर्देश स्त्रियों को देता है, मेरा मानना है कि यही नियम पतियों पर भी लागू होता है)।

पुनः, पौलुस जो कुछ लिखता है उससे हमें आश्चर्य नहीं होता। उसने सबसे पहले तलाक के संबन्ध में परमेश्वर की व्यवस्था को रखा, परन्तु यह जानना बुद्धिमत्तापूर्ण है कि परमेश्वर की व्यवस्था का पालन सदैव नहीं होना चाहिए। अतः, दो विश्वासियों के बीच तलाक का पाप होने पर, वह आगामी निर्देश देता है। अपने जीवन साथी को तलाक देने वाले व्यक्ति को बिना विवाह के रहना चाहिए या फिर उसे अपने जीवन साथी से मेल कर लेना चाहिए। विश्वासियों के बीच तलाक होने पर यह सबसे अच्छी चीज़ होती। उन दोनों के अधिक समय तक अविवाहित रहने पर उनमें मेल होने की आशा बनी रहती है जो सबसे अच्छा होगा। बेशक, एक के विवाह कर लेने पर मेल की संभावना समाप्त हो जाती है। और यदि उन्होंने तलाक देने के द्वारा अक्षम्य पाप किया है तो पौलुस के पास उसके अविवाहित रहने या मेल करने को कहने के लिए कोई कारण न होगा।

क्या आप यह मानते हैं कि पौलुस यह जानता था कि तलाकशुदा विश्वासियों को दिये गए उसके दूसरे निर्देश का पालन सदैव नहीं किया जाएगा? मैं ऐसा सोचता हूं। शायद उसने तलाकशुदा विश्वासियों को अतिरिक्त निर्देश नहीं दिया क्योंकि उसे आशा थी कि सच्चे विश्वासी उसके प्रथम निर्देश का पालन करेंगे और तलाक नहीं देंगे, और बहुत ही कम मामलों में उसके दूसरे निर्देश की ज़रूरत होगी। मसीह के सच्चे अनुयायी, निश्चय ही अपने वैवाहिक जीवन में समस्या उत्पन्न होने पर, उसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। एक विश्वासी अपने विवाह को बचाने का हर संभव प्रयास करने के पश्चात् यह अनुभव करता/करती है कि तलाक के अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं है, निश्चय ही वह व्यक्तिगत, शर्मिंदगी और मसीह को आदर देने के कारण किसी और से विवाह करने के बारे में विचार नहीं करेगा और मेल करने की आशा रखेगा। मुझे लगता है कि आज आधुनिक कलीसियाओं में तलाक को लेकर मुख्य समस्या यह है कि एक बड़ा समूह झूठे विश्वासियों का है, वे लोग जिन्होंने कभी भी सच में प्रभु यीशु पर विश्वास करते हुए उसके प्रति समर्पण नहीं किया।

1 कुरिन्थियों 7 में पौलुस ने जो लिखा उससे स्पष्ट हो जाता है कि परमेश्वर विश्वासियों से उच्च आशा रखता है, वे लोग जिनमें पवित्र आत्मा वास करता है। पौलुस ने लिखा, जैसा कि हमने पढ़ा है कि एक विश्वासी को तब तक अपने अविश्वासी जीवन साथी को नहीं छोड़ना चाहिए जब तक वह उसके साथ रहना चाहता/चाहती

हो। एक बार पुन: इस निर्देश से हमें आश्चर्य नहीं होता क्योंकि इस विषय पर पवित्रशास्त्र में हमने जो कुछ भी पढ़ा है यह उसके साथ सही बैठता है। परमेश्वर तलाक के विरुद्ध है। पौलुस आगे कहता है, तौभी यदि अविश्वासी व्यक्ति तलाक देना चाहता है, तो विश्वासी उसे ऐसा करने दे। पौलुस जानता है कि अविश्वासी परमेश्वर के प्रति समर्पित नहीं है, और इसी कारण वह अविश्वासी से विश्वासी समान कार्य करने की अपेक्षा नहीं करता। मैं इसमें यह जोड़ना चाहता हूं कि जब कोई अविश्वासी एक विश्वासी के साथ रहने का निर्णय लेता है तो यह इस बात का एक अच्छा संकेत है कि या तो अविश्वासी ने स्वयं को सुसमाचार के लिए खोला है और या फिर विश्वासी अपने धर्म से पीछे हट गया है।

अब कौन कहेगा कि एक अविश्वासी द्वारा तलाक दिये जाने पर विश्वासी पुनर्विवाह करने के लिए स्वतन्त्र नहीं है? पौलुस इस तरह की चीज़ *कभी नहीं* कहता है, *जैसा उसने दो तलाकशुदा विश्वासियों के मामले में किया था।* हमें हैरानी होगी कि परमेश्वर एक विश्वासी के अविश्वासी द्वारा तलाक दिये जाने के बाद उसके पुनर्विवाह का विरोध क्यों करेगा। यीशु ने पुनर्विवाह के बारे में जो कहा, इस तरह की अनुमति उसके विरोध में है : ''जो कोई उस त्यागी हुई से ब्याह करे, वह व्यभिचार करता है'' (मत्ती 5:32)। इससे मुझे पुन: संदेह होता है कि यीशु जो कहने का प्रयास कर रहा है उसका हमने गलत अर्थ निकाला है।

समस्या

The Problem

यीशु, मूसा और पौलुस सभी इससे सहमत हैं कि तलाक के एक या दोनों पक्षों के एक भाग में तलाक पाप का एक संकेत है। सभी सामान्य रूप में तलाक के विरोध में हैं। लेकिन हमारी समस्या यह है : मूसा और पौलुस ने पुनर्विवाह के बारे में जो कहा उनका मेल हम उससे कैसे करें जो यीशु ने पुनर्विवाह के बारे में कहा? निश्चय ही हमें यह अपेक्षा करनी चाहिए कि उनमें सामंजस्य होना चाहिए क्योंकि जो कुछ उन्होंने कहा वह परमेश्वर की ओर से प्रेरित था।

यीशु ने जो कहा आइये उसकी जांच करे और उस पर विचार करें जो वह कह रहा था। मत्ती के सुसमाचार में हम दो बार यीशु को तलाक और पुनर्विवाह के बारे में संबोधित करते हुए पाते हैं, एक बार पहाड़ी संदेश के समय में और दूसरी बार उस समय, जब फरीसियों नें उससे प्रश्न किया था। आइये आरम्भ उन फरीसियों के साथ यीशु की बातचीत से करें:

> तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिये पास आकर कहने लगे, ''क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित हैं?'' उसने उत्तर दिया, ''क्या तुम ने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया, उसने

> आरम्भ से नर और नारी बनाकर कहा कि इस कारण मनुष्य अपने माता-पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे? सो वे अब दो नहीं, परन्तु एक तन हैं : इसलिये जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है, उसे मनुष्य अलग न करे।'' उन्होंने उससे कहा, ''फिर मूसा ने क्यों यह ठहराया कि त्यागपत्र देकर उसे छोड़ दे?'' उसने उनसे कहा, ''मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी-अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परन्तु आरम्भ से ऐसा नहीं था। और मैं तुम से कहता हूं, कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्यागकर दूसरी से ब्याह करे, वह व्यभिचार करता है : और जो उस छोड़ी हुई से ब्याह करे, वह व्यभिचार करता है (मत्ती 19:3-9)।

यीशु के साथ इस बातचीत के समय में, फरीसियों ने मूसा की व्यवस्था के एक भाग का उल्लेख किया जिसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं- व्यवस्था. 24:1-4 यहां इस तरह से लिखा गया था : ''यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को ब्याह ले और उसके बाद उसमें कुछ *लज्जा* की बात पाकर उससे अप्रसन्न हो, तो वह उसके लिये त्याग-पत्र लिखकर और उसके हाथ में देकर उसको अपने घर से निकाल दे...'' (व्यवस्था. 24:1, पर बल दिया गया है)।

यीशु के दिनों में ''निर्लज्जता'' के संबन्ध में दो तरह की विचारधाराएं थीं। लगभग 20 वर्ष पूर्व, हिल्लेल नामक रब्बी ने सिखाया कि निर्लज्जता एक असंगत भिन्नता थी। फरीसियों के साथ यीशु के विवाद के समय में ''हिल्लेल'' की व्याख्या और भी उदार हो गई थी, ''किसी भी कारण'' से तलाक की अनुमति देते हुए, जैसा कि यीशु से पूछे गए फरीसियों के प्रश्न से संकेत मिलता है। कोई भी अपनी पत्नी को जला भोजन पकाने, भोजन में अधिक नमक डालने, सार्वजनिक रूप में ऊंचे वस्त्र पहनने, अपने बालों को नीचे की ओर रखने, दूसरे पुरुष से बोलने, अपनी सास से कुछ अपशब्द कहने या बांझ होने पर तलाक दे सकता था। एक पुरुष किसी दूसरी स्त्री को अपनी पत्नी से अधिक आकर्षक पाने पर तलाक दे सकता था।

दूसरा प्रसिद्ध रब्बी, शम्माई, जो हिल्लेल से पहले का था, उसने सिखाया कि ''निर्लज्जता'' एक अनैतिक चीज़ थी, व्यभिचार के समान। आपको संदेह हो सकता है कि यीशु के दिनों के फरीसियों के बीच में हिल्लेल की उदारवादी व्याख्या शम्माई से अधिक प्रचलित थी। फरीसियों ने सिखाया कि किसी भी कारण से तलाक देना उचित था, इसी कारण तलाक अधिक विस्तृत हो गया था। फरीसियों ने अपने 'फरीसी तरीके' में इस पर बल दिया कि अपनी पत्नी को तलाक देने पर आपको उसे तलाक का प्रमाण पत्र देना है जिससे आप ''मूसा की व्यवस्था को नहीं तोड़ते।''

यह न भूलें कि यीशु फरीसियों से बोल रहा था

Don't Forget that Jesus' was Speaking to Pharisees

अपने मन में इस पृष्ठभूमि के साथ हम यह अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि यीशु किस चीज़ के विरुद्ध था। उससे पहले पाखण्डी धार्मिक शिक्षकों के समूह में से यदि सभी ने नहीं तो अधिकांश ने एक या एक से अधिक बार तलाक दिया था, और संभवत: कारण आकर्षक जीवन साथी को पाना था। (मेरे विचार से यह कोई संयोग नहीं कि पहाड़ी उपदेश में तलाक के संबन्ध में दिये गए यीशु के शब्द लालसा के संबन्ध में दी गई उसकी चेतावनी को लेकर थे, जिसे व्यभिचार का एक रूप भी कहा जाता है)। तौभी वे मूसा की व्यवस्था का पालन करने का दावा करते हुए स्वयं को सही ठहरा रहे थे।

उनका प्रश्न उनकी प्रवृत्ति को प्रगट करता है। उन्होंने इस पर विश्वास किया कि कोई भी किसी भी कारण से अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। यीशु ने परमेश्वर की मंशा के प्रति उनकी समझ को उत्पत्ति अध्याय 2 में मूसा के शब्दों द्वारा दिखाते हुए प्रगट किया। परमेश्वर की मंशा *किसी भी तरह के* तलाक और ''किसी भी कारण'' से तलाक देने की नहीं थी। तौभी, इस्राएली अगुवे अपनी पत्नियों को उसी तरह से तलाक दे रहे थे जिस तरह से किशोर अपने ''संयम'' को तोड़ते हैं।

मुझे लगता है कि फरीसी पहले से इस बारे में जानते थे कि यीशु तलाक के विरोध में है क्योंकि वह इस बारे में उनसे सार्वजनिक रूप से पहले भी कह चुका था, और इसी कारण वे अपने विरोध के साथ तैयार थे, ''फिर मूसा ने क्यों यह ठहराया कि त्यागपत्र देकर उसे छोड़ दे?'' (मत्ती 19:7)।

यह प्रश्न उनकी प्रवृत्ति को दिखाता है। यहां ऐसा लगता है कि मानों मूसा पुरुषों को उस समय अपनी पत्नियों को तलाक देने की आज्ञा दे रहा था जब उन्हें उनमें कुछ ''निर्लज्जता'' दिखाई दे, जिसके लिए त्यागपत्र देना ज़रूरी है, परन्तु व्यवस्था-विवरण 24:1-4 को पढ़ने से हम जान पाते हैं कि मूसा ऐसा नहीं कह रहा था। वह एक स्त्री के तीसरे विवाह के बारे में नियम दे रहा था जिसमें उस स्त्री को पहले पति से विवाह करना वर्जित था।

चूंकि मूसा ने तलाक का वर्णन किया, अत: कुछ कारणों से तलाक की अनुमति दी गई थी। लेकिन यीशु द्वारा अपने जवाब में प्रयोग की जाने वाली क्रिया को देखें, *अनुमति दी,* इसकी तुलना फरीसियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली क्रिया से करें : *आज्ञा दी।* मूसा ने तलाक की *अनुमति* दी थी; उसने कभी भी इसके लिए *आज्ञा* नहीं दी थी। मूसा द्वारा तलाक की अनुमति दिये जाने का कारण इस्राएलियों के मन की कठोरता थी। अर्थात् परमेश्वर ने लोगों के पाप के प्रति तलाक को एक करुणापूर्ण छूट के रूप में अनुमति दी थी। वह जानता था कि लोग अपने अपने जीवन साथियों के प्रति

अविश्वासयोग्य रहेंगे। वह जानता था कि लोगों के हृदय तोड़े जाएंगे। इसी कारण उसने तलाक की अनुमति दी थी। उसकी मंशा मूल रूप से यह नहीं थी, परन्तु पाप ने इसे ज़रूरी बना दिया था।

तत्पश्चात् यीशु ने परमेश्वर की व्यवस्था को फरीसियों के सामने रखा, सभवत: यह परिभाषित करते हुए कि मूसा द्वारा वर्णित ''निर्लज्जता'' क्या थी : ''जो कोई *व्यभिचार* को छोड़ और किसी कारण से, अपनी पत्नी को त्यागकर, दूसरी से ब्याह करे, वह व्यभिचार करता है'' (मत्ती 19:9, पर बल दिया गया है)। परमेश्वर की दृष्टि में *व्यभिचार* अपनी पत्नी को तलाक देने का एकमात्र कारण है, और मैं इसे समझ सकता हूं। इसके अलावा और क्या चीज़ एक पुरुष और स्त्री के लिए उसके जीवन-साथी के प्रति अपराध होगा? जब एक व्यक्ति व्यभिचार करता है या उसका किसी और स्त्री अथवा पुरुष से संबन्ध होता है, ऐसा करके वह पाश्विक संदेश को देता/देती है। स्मरण रखें कि यीशु ने पहाड़ी उपदेश में लालसा को व्यभिचार के समान बताया है।

आइये यह न भूलें कि यीशु किससे बोल रहा था- फरीसियों से, जो किसी भी कारण से अपनी पत्नियों को तलाक देकर पुनर्विवाह कर रहे थे, परन्तु उनका कहना था कि सातवीं आज्ञा को तोड़कर ही वे व्यभिचार का पाप करते। यीशु ने उनसे कहा कि वे स्वयं को मूर्ख बना रहे थे। जो कुछ वे कर रहे थे, वह व्यभिचार से भिन्न नहीं था, और यही इसका अर्थ निकलता है। कोई भी ईमानदार व्यक्ति यह देख सकता है कि जो कोई इस कारण से अपनी पत्नी को त्यागपत्र देता है कि वह दूसरा विवाह कर सके तो ऐसा करके वह व्यभिचारियों के समान कार्य करता है, लेकिन वैद्यता की आड़ में।

समाधान

The Solution

मूसा और पौलुस के साथ यीशु का मेल करने की यही कुंजी है। यीशु केवल फरीसियों के ढोंग को प्रगट कर रहा था। वह ऐसे किसी भी नियम को नहीं दे रहा था जो पुनर्विवाह की मनाही करता हो। यदि उसने ऐसा किया होता तो ऐसा करके वह मूसा और पौलुस के विरुद्ध लाखों तलाकशुदा व लाखों पुनर्विवाह करने वालों के समक्ष भ्रम को रख रहा होता। यदि यीशु पुनर्विवाह के नियम को रख रहा था, तब हमें उनसे क्या कहना चाहिए जिन्होंने यीशु के इस नियम को सुनने से पहले तलाक दिया और पुनर्विवाह किया था? क्या हम उनसे यह कहें कि वे व्यभिचारी संबन्धों में रह रहे हैं, यह जानते हुए कि बाइबल बताती है कि व्यभिचारी परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे (देखें 1 कुरि. 6:9-10), उन्हें फिर से तलाक देने का निर्देश दें? *लेकिन क्या परमेश्वर तलाक से घृणा नहीं करता?*

हम उनसे यह कहें कि अपने वर्तमान जीवन साथी के साथ उस समय तक यौन संबन्ध बनाना बन्द कर दें जब तक कि आपके पहले जीवन साथी की मृत्यु न हो जाए, इससे आप व्यभिचार करने से बच जाएंगे? *लेकिन क्या पौलुस विवाहितों को एक दूसरे के साथ यौन संबन्ध बन्द करने को मना नहीं करता?* क्या इस तरह की सलाह यौन आकर्षण को उत्पन्न नहीं करेगी?

क्या हम लोगों को अपने वर्तमान जीवन साथी को तलाक देकर पूर्व जीवन साथी से विवाह करने को कहेंगे (जैसा कुछ इसका समर्थन भी करते हैं), एक ऐसी चीज़ जिसे करने की मनाही मूसा की व्यवस्था में व्यवस्थाविवरण 24:1-4 में थी।

उन तलाकशुदा लोगों का क्या जिनका अभी तक पुनर्विवाह नहीं हुआ है? यदि उन्हें इस कारण से पुनर्विवाह करने की अनुमति दी जाए कि उनके पूर्व जीवन साथी ने कुछ अनैतिकता का पाप किया था, तो कौन इसका निर्धारण करने का उत्तरदायित्व लेगा कि वास्तव में किस तरह की अनैतिकता को किया गया था? पुनर्विवाह करने के लिए क्या कुछ लोगों को यह प्रमाणित करना होगा कि उनके पूर्व जीवन साथी केवल लालसा के दोषी थे जबकि अन्यों को अपने अपने जीवन साथियों के दूसरे स्त्री पुरुषों के साथ संबन्ध के प्रमाण देने होंगे?

जैसा मैं पहले भी पूछ चुका हूं, उन मामलों में क्या किया जाए जिनमें पूर्व जीवन साथी ने इस कारण व्यभिचार का पाप किया क्योंकि उसके जीवन साथी ने उसके साथ यौन संबन्ध नहीं बनाए? क्या यह उचित है कि जिस व्यक्ति ने यौन संबन्ध को रोककर रखा उसे पुनर्विवाह की अनुमति दी जाए और व्यभिचार करने वाले को पुनर्विवाह की अनुमति न दी जाए?

उस व्यक्ति के बारे में क्या जिसने विवाह पूर्व व्यभिचार किया? क्या उसके भावी जीवन साथी के प्रति उसका व्यभिचार एक अविश्वासयोग्य कार्य नहीं है? क्या उस व्यक्ति का पाप व्यभिचार के पाप के समान नहीं है? उस व्यक्ति को विवाह की अनुमति क्यों दी गई?

उन लोगों के बारे में क्या, जो बिना विवाह के साथ रहने के बाद ''अलग'' हो जाते हैं? उनके अलग हो जाने के बाद उन्हें किसी और से विवाह करने की अनुमति क्यों दी जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका औपचारिक रूप में विवाह नहीं हुआ था? वे उन तलाक लेनेवालों और पुनर्विवाह करने वालों से कितने अलग हैं?

इस सच्चाई के बारे में क्या कि एक व्यक्ति के मसीही बनने पर ''पुरानी चीज़ें बीत जाती हैं'' और ''सभी चीज़े नई हो जाती हैं'' (देखें 2 कुरि. 5:17)? क्या इसका अर्थ अवैध तलाक के पाप के *सिवाय* किसी भी पाप को करने से है?

इन सबके साथ-साथ और भी कई प्रश्न[55] किये जा सकते हैं जिनके लिए यह विचार दिया जा सकता है कि यीशु पुनर्विवाह के संबन्ध में किसी नये नियम को नहीं दे रहा था। निश्चय ही यीशु पुनर्विवाह पर अपनी नये नियम की शाखाओं को पर्याप्त रूप में जानता था कि वह क्या थीं। वह हमें पर्याप्त रूप से केवल इतना बताता है कि वह केवल फरीसियों के पाखण्ड को प्रगट कर रहा था-बुरी लालसा करने वाले धार्मिक पाखण्डी लोग जो ''किसी भी'' कारण से अपनी पत्नियों को तलाक देकर पुनर्विवाह कर रहे थे।

इसी कारण यीशु ने उनसे यह कहने के बजाय कि वे गलत कर रहे थे, यह कहा कि वे ''व्यभिचार'' कर रहे थे, क्योंकि वह उन्हें दिखाना चाहता था कि किसी भी कारण से तलाक देकर पुनर्विवाह करना व्यभिचार से भिन्न नहीं है, एक ऐसी चीज़ जिसे कभी न करने का दावा वे करते थे। क्या हम यह परिणाम निकालें कि यीशु को पुनर्विवाह में यौन पहलू की ही चिन्ता थी, और यह कि वह केवल उसी पुनर्विवाह को अनुमोदित करेगा जिसमें यौन संबन्धों में दूरी रखी गई थी? बेशक नहीं। अतः वह अर्थ न निकालें जो उसने कभी कहा ही नहीं था।

एक विचारनीय तुलना

A Thoughtful Comparison

आइये हम दो लोगों की कल्पना करें। एक विवाहित धार्मिक पुरुष है, जो अपने पूरे मन से परमेश्वर से प्रेम करने का दावा करता है, जो अपने पड़ोस में रहने वाली स्त्री के प्रति बुरी इच्छा रखना, आरम्भ कर देता है। जल्दी ही वह अपनी पत्नी को तलाक देकर अपने सपनों की लड़की से विवाह कर लेता है।

दूसरा पुरुष धर्मी नहीं है। उसने कभी भी सुसमाचार को नहीं सुना और वह एक पापी जीवन बिताता है जिससे उसका विवाह टूट जाता है कुछ वर्ष पश्चात् एक अविवाहित व्यक्ति के रूप में वह सुसमाचार को सुनता है, वह पश्चात्ताप कर अपने पूरे मन से यीशु के पीछे चलना आरम्भ कर देता है। तीन वर्ष पश्चात् वह अपनी कलीसिया की एक समर्पित मसीही लड़की से प्रेम करने लगता है। वे दोनों ही प्रभु तथा एक दूसरों की मर्ज़ी को जानने के बाद एक दूसरे से विवाह कर लेते हैं। वे अपनी मृत्यु तक प्रभु तथा एक दूसरे के प्रति समर्पित रहते हैं।

आइये अब यह *मान* लेते हैं कि दोनों पुरुषों ने ही पुनर्विवाह का पाप किया है। दोनों में से किसका पाप बड़ा है? स्पष्ट है, पहले पुरुष का। वह एक व्यभिचारी के समान है।

---

55. उदाहरण, उस तलाकशुदा पास्टर की टिप्पणी पर विचार करें जो पुनर्विवाह के बाद स्वयं को मसीह की देह से अलग पाता है। उसका कहना है, ''अपनी पत्नी को तलाक देने से अच्छा मेरे लिए उसकी हत्या करना होता। क्योंकि मैं उसकी हत्या के पश्चात् कानूनी रूप से पुनर्विवाह कर सकता था और अपनी सेवकाई को इस तरह से जारी रख सकता था।''

लेकिन दूसरे पुरुष के बारे में क्या? क्या वास्तव में ऐसा लगता है कि उसने पाप किया है? क्या यह कहा जा सकता है कि वह एक व्यभिचारी से *भिन्न* नहीं है, जैसा कि पहले पुरुष के लिए कहा जा सकता है? मैं ऐसा नहीं सोचता। क्या हम उसे वह बताएंगे जो यीशु ने तलाक लेनेवालों और पुनर्विवाह करने वालों के बारे में कहा, उसे यह बताते हुए कि जिस स्त्री के साथ वह रहा है उसे परमेश्वर ने उसके साथ नहीं जोड़ा था, क्योंकि परमेश्वर भी उसे उसकी पहली पत्नी के साथ विवाहित मानता है? क्या हम उसे यह बताएंगे कि वह व्यभिचार में रह रहा है?

जवाब संभावित है। व्यभिचार उन विवाहित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जो अपने जीवन साथी से विपरीत किसी और पर अपनी निगाह रखते हैं। अत: किसी और आकर्षक व्यक्ति को पा लेने पर अपने जीवन साथी को तलाक देना व्यभिचार करने के समान है। लेकिन एक विवाहित उस समय तक व्यभिचार *नहीं कर सकता* जब तक कि उसके पास अविश्वासयोग्य होने को जीवन साथी न हो, और इसी तरह से एक तलाकशुदा व्यक्ति उस समय तक व्यभिचार नहीं करता जब तक कि उसके पास जीवन साथी न हो जिसके साथ वह अविश्वासयोग्य रहे। यीशु ने जो कुछ कहा उसके बाइबल और ऐतिहासिक संबन्धी संदर्भ को जानने के पश्चात् हम बेकार के परिणामों पर नहीं आते जो शेष बाइबल के प्रतिकूल हों।

शिष्यों ने फरीसियों के प्रश्न पर यीशु की प्रतिक्रिया को सुनकर कहा, ''यदि पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा संबन्ध है, तो ब्याह करना अच्छा नहीं'' (मत्ती 19:10)। यह जानने पर कि उनका पालन दोषण फरीसी शिक्षा और प्रभाव के अधीन हुआ था, और फरीसियों द्वारा प्रभावित संस्कृति में उन्होंने कभी यह नहीं माना कि विवाह इतना स्थायी हो सकता है। वास्तव में कुछ मिनट पहले, उन्होंने भी इस पर विश्वास किया था कि एक पुरुष का अपनी पत्नी को किसी भी कारण से तलाक देना उचित था इसलिए उन्होंने जल्द ही यह परिणाम निकाल लिया कि विवाह न करना अच्छा है, जिससे तलाक और व्यभिचार का पाप करने का कोई खतरा ही न हो।

यीशु ने जवाब दिया,

> सब यह वचन ग्रहण नहीं कर सकते, केवल वे जिन को यह दान दिया गया है। क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे; और कुछ नपुंसक ऐसे हैं, जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया : और कुछ नपुंसक ऐसे हैं, जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है, जो इस को ग्रहण कर सकता है, वह ग्रहण करे (मत्ती 19:11-12)।

अर्थात्, एक व्यक्ति द्वारा अपनी यौन इच्छा को नियंत्रित करना एक निर्धारित करने वाला घटक है। पौलुस ने भी कहा, ''कामातुर रहने से विवाह करना भला है'' (1 कुरि. 7:9)। वे जो जन्म ही से नपुंसक हैं या जिन्हें मनुष्यों द्वारा नपुंसक बनाया

गया है (ऐसा उन पुरुषों के द्वारा किया जाता था जिन्हें अपने जनानखाना की रखवाली करने के लिए उन पुरुषों की ज़रूरत होती थी जिन पर वे भरोसा कर सकें), उनमें यौन इच्छा नहीं होती। वे जिन्होंने स्वयं को परमेश्वर के राज्य के लिए नपुंसक बनाया है, उन्हें उन लोगों के रूप में देखा जाता है जिन्हें परमेश्वर द्वारा स्वयं को नियंत्रित करने का दान मिला होता है। इसी कारण ''सब यह वचन ग्रहण नहीं कर सकते, केवल वे जिनको यह दान दिया है'' (मत्ती 19:11)।

पहाड़ी उपदेश

The Sermon on the Mount

हमें स्मरण रखना चाहिए कि अपने पहाड़ी उपदेश के समय में यीशु जिस भीड़ से बोल रहा था, उनमें वे लोग भी थे जिन्होंने अपना जीवन फरीसी पाखण्डी प्रभाव में बिताया था। अपने पहले के पहाड़ी उपदेश के अध्ययन में जैसा हमने सीखा था, कि यह संभव है कि जो कुछ यीशु ने कहा वह फरीसियों की झूठी शिक्षा में सुधार से कुछ कम नहीं था। यीशु ने भीड़ को यह भी बताया कि यदि उनकी धार्मिकता फरीसियों और शास्त्रियों से बढ़कर न हो तो वे स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे (देखें मत्ती 5:20), जो यह कहने का एक दूसरा तरीका था कि शास्त्री और फरीसी नरक की ओर जा रहे थे। अपने संदेश के अंत में भीड़ इससे हैरान थी कि यीशु ''उनके शास्त्रियों के समान शिक्षा नहीं दे रहा था'' (मत्ती 7:29)।

अपने संदेश के आरम्भ में, यीशु ने उनके पाखंड को प्रगट किया जो कभी भी व्यभिचार न किये जाने का दावा करते थे, लेकिन जो बुरी इच्छा रखते या तलाक देते और पुनर्विवाह करते थे। उसने व्यभिचार के अर्थ को दो विवाहित लोगों के बीच होने वाले शारीरिक पापपूर्ण कार्य से भी आगे बढ़ाया था। इसे स्मरण रखें कि यीशु के संदेश के समय तक भीड़ में कई ऐसे लोग थे जो यह मानते थे कि ''किसी भी कारण से'' तलाक देना उचित है। यीशु यह चाहता था कि उसके अनुयायी तथा हर कोई यह जाने कि आरम्भ से ही परमेश्वर का मानदण्ड बहुत ही उच्च स्तर का था।

> तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना। परन्तु मैं तुम से यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए, तो उसे निकालकर अपने पास से फेंक दे; क्योंकि तेरे लिये यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए, तो उस को काटकर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिये यही भला है कि तेरे अंगों में से

> एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। यह भी कहा गया था कि जो कोई अपनी पत्नी को त्याग दे तो उसे त्यागपत्र दे। परन्तु मैं तुम से यह कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से छोड़ दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से ब्याह करे, वह व्यभिचार करता है (मत्ती 5:27-32)।

सर्वप्रथम, जैसा मैंने पहले भी कहा था, ध्यान दें कि यीशु के शब्द तलाक और पुनर्विवाह के बारे में इस तरह से हैं कि वह *दोनों* को ही व्यभिचार के रूप में देखता है। यीशु अपने अनुयायियों की यह समझने में सहायता कर रहा था कि सातवीं आज्ञा का पालन करने की अनिवार्यता क्या है। इसका अर्थ केवल बुरी इच्छा करना, तलाक देना और पुनर्विवाह करना ही नहीं है।

उसके प्रत्येक यूहदी श्रोता ने आराधनालय में सातवीं आज्ञा को पढ़े जाते हुए सुना था (किसी के पास अपनी बाइबल नहीं होती थी), उन्होंने अपने शिक्षकों, शास्त्रियों और फरीसियों के जीवनों में इसके कार्यान्वयन को सुना व देखा था। तत्पश्चात् यीशु ने कहा, "परन्तु मैं तुम से यह कहता हूं" लेकिन वह नये नियमों को जोड़ नहीं रहा था। वह तो केवल परमेश्वर की मूल मंशा को प्रगट कर रहा था।

सर्वप्रथम, दसवीं आज्ञा में बुरी इच्छा अर्थात् लालसा को वर्जित किया गया है, और दसवीं आज्ञा के बिना, हर कोई इस बारे में विचार करने वाला जान लेगा कि परमेश्वर जिसका विरोध करता है हमे उसकी इच्छा नहीं करनी चाहिए।

दूसरा, उत्पत्ति के आरम्भ के पृष्ठों में, परमेश्वर ने यह स्पष्ट किया कि विवाह को जीवनपर्यन्त चलने वाली वचनबद्धता होना था। इसके अतिरिक्त, हर कोई इस पर विचार करने वाला तलाक और विवाह को व्यभिचार मानेगा, *विशेषकर* उस समय में जब कोई पुनर्विवाह की मंशा से तलाक देता है।

लेकिन पुनः इस संदेश में, यह स्पष्ट हो जाता है कि यीशु केवल लोगों की लालसा के बारे में, सत्य को देखने में तथा किसी भी कारण से तलाक देने व पुनर्विवाह के बारे में सत्य को देखने में सहायता कर रहा था। वह पुनर्विवाह पर किसी नये नियम को नहीं दे रहा था।

यह रोचक है कि कलीसिया में बहुत कम ही अपनी आंखों को निकालने या अपने हाथों को काटने के संबन्ध में दिये गए यीशु के शब्दों को लेते हैं, क्योंकि ये विचार शेष पवित्रशास्त्र के अधिक-प्रतिकूल हैं, और वे यौन आकर्षण से बचने की ओर ही बल देते हैं। तौभी, अधिकांश कलीसियाओं ने विवाहित व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले व्यभिचार का अर्थ स्पष्ट करने का प्रयास किया है, उस समय में भी जब इस तरह की शाब्दिक व्याख्या शेष पवित्रशास्त्र के प्रतिकूल हो। यीशु का लक्ष्य अपने श्रोताओं को सत्य का सामना कराना था, इस आशा से कि इससे बहुत कम तलाक

होंगे। यदि उसके अनुयायी उसे अपने मन में रखें जो कुछ उसने लालसा के बारे में कहा है, तो उनमें किसी भी तरह की कोई अनैतिकता न होगी। अनैतिकता न होने पर तलाक का कोई आधार नहीं होगा, और कोई तलाक नहीं होगा, जैसा परमेश्वर आरम्भ से ही चाहता था।

एक पुरुष अपनी पत्नी से कैसे व्यभिचार कराता है?
How Does a Man Make His Wife Commit Adultery?

ध्यान दें कि यीशु ने कहा, ''जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से छोड़ दे, *वह उससे व्यभिचार करवाता है।*'' यह पुनः हमें विश्वास दिलाता है कि वह पुनर्विवाह के एक नये नियम को नहीं दे रहा था, बल्कि उस व्यक्ति के पाप की सच्चाई को प्रगट कर रहा था जो बिना किसी उचित कारण के अपनी पत्नी को तलाक देता है। वह ''उससे व्यभिचार करवाता है।'' कुछ का कहना है कि इस तरह से यीशु उस स्त्री के पुनर्विवाह को वर्जित कर रहा था, क्योंकि वह इसे व्यभिचार कहता है। परन्तु यह पूर्णतया असंगत है। प्रमुख बल तलाक देनेवाले व्यक्ति के पाप पर दिया गया है। *उसने* जो कुछ किया उसी कारण से उसकी पत्नी के पास पुनर्विवाह का छोड़ और कोई मार्ग नहीं बचता जो उसके लेखे में पाप नहीं माना जाता क्योंकि वह तो स्वयं अपने पति के स्वार्थीपन की शिकार है। तथापि, परमेश्वर की दृष्टि में चूंकि उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी के सामने पुनर्विवाह को छोड़ और कोई रास्ता नहीं छोड़ा, यह मानो ऐसा है कि उसने स्वयं अपनी पत्नी को दूसरे व्यक्ति के बिस्तर पर धकेला है। इसलिए जो कोई यह सोचता है कि उसने व्यभिचार नहीं किया वह स्वयं *दोहरे* व्यभिचार का दोषी होता है।

यीशु यह नहीं कह रहा था कि परमेश्वर ने उसकी पत्नी को व्यभिचार का दोषी माना था, क्योंकि यह पूर्णतया अनुचित होगा और इसका कोई अर्थ नहीं होगा कि दोषी पत्नी कभी पुनर्विवाह न करे। परमेश्वर उसके पुनर्विवाह किये बिना उसे व्यभिचारी कैसे कह सकता है? इसका कोई अर्थ नहीं होगा। अतः परमेश्वर केवल उस पुरुष को ही अपने और अपनी पत्नी के व्यभिचार का दोषी मानता है जो वास्तव में उस स्त्री के लिए व्यभिचार नहीं है। उसके लिए पुनर्विवाह करना उचित है।

यीशु के अगले कथन के बारे में क्योंकि ''जो कोई उस त्यागी हुई से ब्याह करे, वह व्यभिचार करता है?'' केवल दो ही संभावनाएं हैं जिनसे कोई अर्थ निकलता है या तो यीशु उस तीसरे व्यक्ति की व्यभिचार करने में गणना कर रहा था जो यह सोचता था कि उसने कभी व्यभिचार नहीं किया है, (जिस कारण से उसने दूसरे को जोड़ा था) या फिर यीशु उस व्यक्ति के बारे में बोल रहा था जो एक स्त्री से विवाह करने के लिए उसे अपने पति को तलाक देने को प्रोत्साहित करता है जिससे ''वह व्यभिचार न करे।'' यदि यीशु यह कह रहा था कि इस पृथ्वी का कोई भी व्यक्ति

जो तलाकशुदा स्त्री से विवाह करता है, वह व्यभिचार करता है, तो प्रत्येक इस्राएली पुरुष पिछले सैकड़ों वर्षों से तलाकशुदा स्त्री से विवाह कर व्यभिचार करते आ रहे थे, जबकि मूसा की व्यवस्था में उनको तलाकशुदा स्त्री से विवाह करने की मनाही नहीं थी। इस तरह से यीशु के श्रोताओं में से प्रत्येक व्यक्ति जिसने तलाकशुदा स्त्री के साथ विवाह किया था स्वयं को दोषी मानने लगता है जबकि कुछ मिनट पहले वह स्वयं को दोषी नहीं मानता था और यीशु ने अवश्य ही उस क्षण नियम को बदल दिया था। इसके अतिरिक्त, भविष्य में परमेश्वर के पौलुस के कुरिन्थियों को लिखे पत्र के शब्दों पर भरोसा कर तलाकशुदा से विवाह करने वाला प्रत्येक व्यक्ति वास्तव में पाप करते हुए व्यभिचार कर रहा था।

समस्त बाइबल की आत्मा उस व्यक्ति की सराहना करने में मेरा नेतृत्व करेगी जो एक तलाकशुदा स्त्री से विवाह करता है। यदि एक स्त्री का मृत पति स्वार्थी नहीं था तो मैं उसके साथ-साथ उस व्यक्ति की भी सराहना करुंगा जो उस विधवा से विवाह करता है। यदि उस स्त्री को अपने पिछले तलाक के कारण कुछ आरोपों को सहना पड़ा है तो मैं उस व्यक्ति की सराहना उसके मसीह के समान होने के लिए करूंगा जिसने उस स्त्री का भला चाहते हुए उसके पिछले जीवन को भुलाकर अपना अनुग्रह उस पर किया। बाइबल को पढ़ने वाला तथा जिसमें पवित्र आत्मा वास करता है, वह क्यों यह परिणाम निकालने पाए कि यीशु ने किसी भी तलाकशुदा व्यक्ति से प्रत्येक को पुनर्विवाह करने के लिए मना किया था? इस तरह का दृष्टिकोण परमेश्वर के धर्म के साथ कैसे मेल खाता है, एक ऐसा धर्म जो कभी भी किसी को दोषी होने के लिए दण्डित नहीं करेगा, उस स्त्री के समान जिसकी कोई गलती न होने पर उसे तलाक दिया गया था? इस तरह का दृष्टिकोण सुसमाचार के साथ कैसे सही बैठता है, जो पापियों को क्षमा के साथ-साथ पश्चात्ताप करने का अवसर देता है?

सारांश में

In Summary

बाइबल बार-बार यह कहती है कि तलाक का संबन्ध हमेशा एक या दोनों दल के लोगों से जुड़ा होता है। परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा कि कोई किसी को तलाक दे, लेकिन उसने अनैतिकता होने पर अपनी करुणा में होकर तलाक का प्रावधान किया। उसने अपनी करुणा में होकर तलाकशुदा लोगों के लिए पुनर्विवाह का भी प्रावधान किया।

यदि पुनर्विवाह के बारे में यीशु द्वारा कहे ये शब्द न होते तो कोई भी बाइबल पढ़ने वाला यह कभी नहीं सोच पाता कि पुनर्विवाह एक पाप है (पुरानी वाचा में दो और नये में एक मामले के अतिरिक्त, एक व्यक्ति के एक मसीही के रूप में एक मसीही से तलाक देने के पश्चात्)! तौभी जो कुछ यीशु ने पुनर्विवाह के बारे में कहा उसका शेष बाइबल से सामजंस्य करने का हमें एक तर्कपूर्ण तरीका मिल

गया है। यीशु परमेश्वर के पुनर्विवाह के नियम के स्थान पर किसी कठोर नियम को नहीं रख रहा था जो कि सभी मामलों में पुनर्विवाह को वर्जित करता हो, उन लोगों के लिए ऐसा असंभव नियम जिनका पहले से तलाक हो चुका है और पुनर्विवाह कर चुके हैं, जो लोगों में भ्रम उत्पन्न करते हुए उनकी परमेश्वर के अन्य नियमों को तोड़ने में अगुवाई करेगा। इसके विपरीत, वह लोगों की सहायता उनके पाखण्ड को देखने में कर रहा था। वह उन लोगों की सहायता कर रहा था जो यह मानते थे कि उन्होंने कभी व्यभिचार का पाप नहीं किया है, वह उन्हें यह दिखा रहा था कि वे दूसरे तरीकों से व्यभिचार कर रहे थे अर्थात् अपनी लालसा और तलाक के प्रति उदार रवैये के द्वारा।

जैसा समस्त बाइबल सिखाती है, प्रत्येक पश्चात्ताप करने वाले पापी के लिए उनके पाप के संबन्ध में क्षमा को दिया गया है, और दूसरा व तीसरा अवसर पापियों को दिया गया है, जिसमें तलाकशुदा लोग भी आते हैं। नई वाचा में किसी भी तरह के पुनर्विवाह में कोई पाप नहीं है, विश्वासी की उस विशिष्टता के साथ जिसका दूसरे विश्वासी से तलाक हुआ है, जो उस समय तक नहीं होनी चाहिए जब तक कि सच्चे विश्वासी कोई अनैतिकता नहीं करते हैं और इसी कारण तलाक देने का कोई उचित कारण नहीं होता है। इस तरह के बहुत ही कम मामलों में दोनों को या तो अविवाहित रहना चाहिए या फिर एक दूसरे से मेल कर लेना चाहिए।